डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर कोर्ट बाप

बइजलास पीठासीन अधिकारी श्री महावीर सिंह (आर.ए.एस.)

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. अशोक पालीवाल पुत्र लूणकरण		1. लूणकरण पुत्र सोमराज
2. रेखा पुत्री लूणकरण		जाति पालीवाल निवासी बाप
वादीगण नाबालिग जरिये कुदरती		तहसील बाप जिला जोधपुर
वलीया माता ओमीदेवी पत्नि		2 शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई
श्री लूणकरण पालीवाल निवासी बाप		शाखा बाप जिला जोधपुर
तहसील बाप जिला जोधपुर		

दावा बाबत् 88 आर.टी.एक्ट

मुकदमा संख्याः— 94/2019

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे व हाजिर श्री राजेन्द्रसिंह सोलंकी मिनजानिब मुदई व प्रतिवादी संख्या 1 की और से श्री रिछपालसिंह सोंलकी मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है कि व डिक्री दी जाती है कि वाद वादीगण अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है ग्राम बाप पटवार क्षेत्र बाप तहसील बाप के खसरा नम्बर 2467/2854 रकबा 32.10 बीघा में वादीगण को प्रतिवादी सं. 1 के साथ संयुक्त रूप से सहखातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। उक्त भूमि में वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा पूर्व की भांति रहन रहेगा। तहसीलदार बाप माफिक आदेश राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर आदेश की पालना करें। नीचे मुतालिक बाबत्

खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर वसूल याबी तक फीस सदी सालाना आज की तारीख को अदा करे।

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 29 माह 11 सन् 2019 जारी की गई।

(महावीर सिंह)
आहदा
सहायक कलक्टर
बाप (जिला जोधपुर) राज.

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा वाहन		
खर्चा गवाहन			फीसं कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजान			मिजान		

नोट :— इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।

न्यायालय सहायक कलक्टर बाप, जिला जोधपुर

बईजलास पीठासीन अधिकारी श्री महावीर सिंह (आर.ए.एस.)

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. अशोक पालीवाल पुत्र लूणकरण		1. लूणकरण पुत्र सोमराज
2. रेखा पुत्री लूणकरण		जाति पालीवाल निवासी बाप
वादीगण नाबालिग जरिये कुदरती		तहसील बाप जिला जोधपुर
वलीया माता ओमीदेवी पत्नि		2 शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई
श्री लूणकरण पालीवाल निवासी बाप		शाखा बाप जिला जोधपुर
तहसील बाप जिला जोधपुर		

राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

राजस्व वाद संख्या :– 94/2019

उपस्थित :–

1. श्री राजेन्द्रसिंह सोलंकी अधिवक्ता वादीगण की ओर से
2. श्री रिछपालसिंह सोंलकी अधिवक्ता प्रतिवादी की ओर से

निर्णय

दिनांक :– 29.11.2019

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के संक्षिप्त में तथ्य निम्न प्रकार है वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 की सामलाती पुश्तैनी कृषि भूमि ग्राम बाप पटवार क्षेत्र बाप तहसील बाप के खसरा नम्बर 2467/2854 रकबा 32.10 बीघा की स्थित है। उक्त वादग्रस्त भूमि पूर्व में वादीगण के दादा एंव प्रतिवादी सं. 1 के पिता सोमराज पुत्र हिरालाल के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज रही है तथा प्रतिवादी सं. 1 को उक्त भूमि जरिये विरासत के प्राप्त हुई है। चूंकि वादीगण प्रतिवादी सं. 1 की जायन्दा संतानें है इसलिये उनका उक्त वादग्रस्त भूमिं में हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत जन्म से ही हक निहित हो जाता है वादीगण को प्रतिवादी सं. 1 के साथ उक्त वादग्रस्त भूमि में संयुक्त खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। वादीगण ने वाद के साथ जमाबंदीया, नामांतरकरण की प्रतिलिपि, मतदाता परिचय पत्र, परिवार राशन कार्ड इत्यादि दस्तावेजात् प्रस्तुत किये। उक्त वादग्रस्त भूमि पर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 का अपने–अपने पैतृक हिस्से अनुसार कब्जा काश्त आज दिन तक

सहायक कलक्टर (जिला जोधपुर) राज.

लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है। वादीगण ने अपने–अपने पैतृक हिस्से की भूमि पर अपनी अलग–अलग रहवासी ढाणीया, पानी के टांके इत्यादि बना रखे है। उक्त रहवासीय ढाणियों में वादीगण बारह ही मास अपने परिवार सहित निवास करते आ रहे है। उक्त वादग्रस्त भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी है। जिसका यह वाद पेश है। वादीगण ने वाद के अन्त में निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के आदेश फरमावें।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी सं. 1 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 की ओर से अधिवक्ता रिछपालसिंह सोंलकी ने अपना वकालतनामा प्रस्तुत किया और इकबालिया जवाब प्रस्तुत करते हुवे वादीगण का वाद को माफिक इस्तदुआ डिक्री किये जाने का निवेदन किया। जो शामिल मिसल किये गये। वाद का प्रतिवादी की तरफ से विरोध नहीं किया गया इसलिये तनकीयात कायम नहीं की गई। वकील वादीगण वाद में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना चाहते है। इसलिये पत्रावली बहस में रखी गई।

अधिवक्ता वादीगण ने अपनी बहस में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहरते हुवे बताया कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 की सामलाती पुश्तैनी कृषि भूमि ग्राम बाप पटवार क्षेत्र बाप तहसील बाप के खसरा नम्बर 2467/2854 रकबा 32.10 बीघा भूमि राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि पूर्व में वादीगण एंव प्रतिवादी सं. 1 के पूर्वजों के नाम दर्ज रही है तथा प्रतिवादी को उक्त भूमि जरिये विरासत के प्राप्त हुई है। चूंकि वादीगण प्रतिवादी की जायन्दा संतानें है इसलिये उनका उक्त वादग्रस्त भूमिं में हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत जन्म से ही हक निहित हो जाता है। इसलिये वादीगण को प्रतिवादी सं. 1 के साथ संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

प्रतिवादी सं. 1 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि वाद पत्र में वर्णित तथ्य सही है वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 के जायन्दा पुत्र है वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि है अतः वादीगण का वाद माफिक इस्तदुआ डिक्री किया जावे तो उन्हे कोई उजर ऐतराज नहीं है। वादीगण का वाद माफिक इस्तदुआ स्वीकार किया जावे।

वकुलाय पक्षकारान् की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस मनन किया गया बाद मनन एवं अवलोकन करने पर पाया गया कि उक्त वादग्रस्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Manaveer Singh
Date: 2019.12.09 18:30:02 IST
Reason: SelfAttested
Location:

भूमि वादीगण एंव प्रतिवादी सं. 1 की पुश्तैनी काश्त भूमि है जो प्रतिवादी सं. 1 को विरासत में प्राप्त हुई है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजीय साक्ष्य नामान्तरकरण संख्या 1318 मौजा बाप से साबित हैं। वादीगण प्रतिवादी सं. 1 के जाईन्दा पुत्र है। इस बात को प्रतिवादी संख्या ने अपने इकबालिया जवाब में स्वीकार किया है वादग्रस्त भूमिं में हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत जन्म से ही वादीगण का हक निहित होता है। वादीगण ने अपने वाद को सही साबित करते किये जाने हेतु पर्याप्त सबूत पेश किये है। अतः वादग्रस्त भूमि में वादीगण का पैतृक हिस्सा बनता है इसी अनुसार वादीगण को सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित है। वादीगण का वाद स्वीकार किये जाने योग्य होने से न्यायालय स्वीकार किया जाना उचित समझता है।

आदेश

वाद वादीगण अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है ग्राम बाप पटवार क्षेत्र बाप तहसील बाप के खसरा नम्बर 2467/2854 रकबा 32.10 बीघा में वादीगण को प्रतिवादी सं. 1 के साथ संयुक्त रूप से सहखातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। उक्त भूमि में वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा पूर्व की भांति रहन रहेगा। तहसीलदार बाप माफिक आदेश राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद र आदेश की पालना करें। डिक्री पर्चा अलग से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर, बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.11.19 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर सिंह)
सहायक कलक्टर
बाप (जोधपुर)